


कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज।

कोटेशन-सूचना

एतदद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि जनपद न्यायालय कासगंज में लगे अग्निशमन यन्त्र ABC टाइप व CO2 टाइप (04K.G के 15 अदद ,4.5 के 15 अदद) के सम्बन्ध में प्रतिष्ठित कंपनी से रिफिल कराये जाने हेतु अधिकृत पजीकृत डीलर /फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं उक्त अधिकृत पजीकृत डीलर /फर्मों को कोटेशन के लिये दी गयी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा ।

- 1- कोटेशन बंद लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केंद्रीय नजारत कासगंज में दिनांक. 20.02.2020 तक (कार्यालय समय 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेगे ।
- 2- कोटेशन दिनांक 21.02.2020 को सायकल 4.30 बजे क्रय समिति जनपद न्यायालय कासगंज के समक्ष खोले जायेगे ।
- 3- अग्निशमन यंत्रों कि रिफिलिंग का कार्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त अनुदान के अनुसार किया जायेगा ।
- 4- किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा ।
- 5- किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है ।
- 6- कोटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है ।
- 7- कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा ।
- 8- भुगतान रिफिलिंग कार्य उपरान्त ही किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा ।
- 9- अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग का कार्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त अनुदान पर निर्भर करता है जिसकी संख्या घट-बढ़ सकती है ।
- 10- अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग का कार्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुदान प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही कराया जायेगा ।
- 11- कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज होगा ।
- 12- कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा ।

दिनांक - 07-02-2020


(कृपा शंकर शर्मा)
अध्यक्ष क्रय समिति
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/
एस0टी0 एक्ट, कासगंज।

Cont.....